राजस्थान कर बोर्ड,अजमेर

अपील संख्या–1467/2016/जोधपुर

मैसर्स शैतानाराम गोदारा
खरां, फलौदी ...अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लिजींग टैक्स, जोधपुर ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित

श्री पी. एम. चोपड़ा
अभिभाषक .....अपलार्थी की ओर से

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक : **22.01.2018**

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 06/आरवैट/जेयूई/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लिजींग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे "**कर निर्धारण अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 के लिए आदेश दिनांक 09.02.2015 को पारित करते हुए क्रय कर रूपये 7,150/– रिवर्स आई.टी.सी. रूपये 64,347/– एवं विलम्ब शुल्क रूपये 16,300/– आरोपित कर कुल रूपये 87,797/–की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने विलम्ब शुल्क को आंशिक स्वीकार रखते हुए शेष बिन्दुओं पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी संविदा/ठेका कार्यरत पंजीकृत व्यवसायी है। अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार होने के कारण उसका त्रैमासिक कर दायित्व है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2012–13 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही विवरण प्रपत्र वैट–10 विभागीय वैबसाईट पर इलेक्ट्रॉनिक तीनों रिर्टन विलम्ब से दिनांक 29.05.2013 को, अपलोड कर उक्त तीनों त्रैमासिक विवरण प्रपत्रों की हार्डकॉपी की पावती रसीद कार्यालय में, दिनांक 10.06.2013 को विलम्ब से बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये प्रस्तुत की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19ए (iii) के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क रू. 50/–प्रति दिवस अधिकतम रू. 5000/–प्रति त्रैमासिक विवरण प्रपत्र के अनुसार तीनों त्रैमासिक विवरण प्रपत्र के लिए कुल रू. 16,600/– आरोपित की गयी।

लगातार.....2.

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वैट–10 में क्लेम आई.टी.सी रू. 64,347/–राजविष्टा से मिसमैच पाये जाने के कारण उसका समायोजन प्रदान नहीं किया गया। ठेका कार्यों में प्रयुक्त माल अपंजीकृत व्यवसायियों से 5 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत की दर से माल की खरीद करना मानते हुए क्रय कर रू. 7150/–आरोपित किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2015 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 15.03.2016 में अधिरोपित विलम्ब शुल्क को यथावत रखते हुए आई.टी.सी एवं क्रय कर के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। उक्त अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.03.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी एक ठेकेदार है एवं ठेकेदार मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है। एक ठेकेदार होने के कारण राज्य सरकार द्वारा इन्हें धारा 8(3) के तहत ऐसा घोषित किया है क्योंकि व्यवहारी की ओर से कर अवार्डर द्वारा उसको भुगतान किये जाने पर उसके बिलों से कर की कटौती कर विभाग में जमा करवाया जाता है। नियम 19(A) के तहत् विवरणी की विलम्बता पर ऐसे व्यवसाईयों को मासिक करदाता न मानते हुए अधिकतम 19(A)(3) के तहत् शास्ति रूपये 5000/– से अधिक आरोपित नहीं की जा सकती। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 457/2015/जोधपुर मैसर्स ओम कन्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स,शास्त्री नगर, जोधपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर में पारित निर्णय दिनांक 30.01.2017 को उद्धृत किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.10.2014 में कार्यवाही नहीं कर केवल राजविष्टा पर मिसमैच पाये जाने से आई.टी.सी. रिवर्स की गयी जो अविधिक है। कर निर्धारण द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों एवं ट्रेंडिंग अकाउण्ट में ठेका कार्यों में प्रयुक्त माल की खरीद दर्शायी गयी है इसके बाद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना जांच के अपंजीकृत व्यापारियों से खरीद मानी जाकर बिना किसी आधार के करारोपण किया गया है, जो अविधिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्व होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिक्री विवरण पत्रों के आधार पर

लगातार.....3.

एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो विधिविरुद्ध है। विद्वान अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना विहित नोटिस जारी किये और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही देरी से रिटर्न प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब शुल्क आरोपित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी ने वैट–7ए में क्लेम की गई आई टी सी सत्यापन की शर्त पर स्वीकार किया जाकर इसका समायोजन अग्रिम जमा के पेट दिया गया है, किन्तु बिना किसी आधार के आई.टी.सी का समयोजन न दिया जाना विधि विरूद्ध है। कर निर्धारण अधिकारी ने बिना नोटिस जारी किये यह मान लिया कि उन व्यवहारियों ने कर जमा नहीं कराया और उनके द्वारा आई टी सी रिवर्स कर दी गई। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसा कोई सूची जारी नहीं की कि अमुक व्यवहारियों ने कर जमा नहीं कराया है। उनका यह भी कथन है कि व्यवहारी ने माल खरीद कर वैट इनवाईस प्राप्त की है जिससे प्रमाणित होता है कि संव्यवहार वास्तविक (genuine) है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त कथनों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने किये जाने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस सुनी गई व उपलब्ध रिकॉर्ड एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया।

9. अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2016 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत विवरण प्रपत्रों में राजविष्टा पर मिसमैच आई.टी.सी रुपये 64,347/– रिवर्स करने पर उठाई गई आपत्ति के संबंध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर के द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ. 16(100)टैक्स/सीसीटी/14–15/2787 दिनांक 21.10.2014 के अनुसरण में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात बाद जांच/सत्यापन के विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत सत्यापित आई.टी.सी का समायोजन प्रदान करें एवं अस्वीकृत/आस्थगित आई.टी.सी के सम्बन्ध में कारण सहित विवेचना के नये सिरे से अभिनिर्धारित करने हेतु तथा कर निर्धारण आदेश में संविदा कार्यों की प्रकृति के अनुसार उसमें उपयोग किये गये माल की मात्रा कम दर्शाई जाने को अपंजीकृत व्यापारियों से माल की खरीद मानी जाने के संबंध में बाद जांच सत्यापन के संविदा कार्य में प्रयुक्त माल की खरी स्टॉक नहीं होने पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से करारोपण करने हेतु अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है।

लगातार.....4.

इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त होगा। अतः इस संबंध में अपीलीय अधिकारी का आदेश प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का उक्त आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः इस बिन्दु पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.03.2016 को यथावत रखा जाना न्यायसंगत है।

10. उक्त प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवसायी एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत व्यवसायी है अपीलार्थी व्यवसायी मासिक कर दाता की श्रेणी में सम्मिलित होने योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में राजस्थान वैट नियम, 2006 के नियम 19A(iii) के अनुसार प्रत्येक विवरण प्रपत्र के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 5000/– ही आरोपणीय है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि 2012–13 के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही विवरण प्रपत्र वैट–10 को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक 10.02.2012, 30.11.2012 तथा 20.03.2013 थी, जबकि व्यवहारी द्वारा उक्त तीनों त्रैमास की रिटर्न वैट–10 विभागीय वैबसाईट पर इलेक्ट्रॉनिकली विलम्ब से दिनांक 29.05.2013 को, अपलोड कर उक्त विवरण प्रपत्रों की हार्डकॉपी की पावती रसीद कार्यालय में, दिनांक 10.06.2013 को विलम्ब से बिना विलम्ब शुल्क जमा करवाये प्रस्तुत की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा द्वितीय तिमाही के वैट–10 प्रपत्र के लिये रुपये 8,000/– विलम्ब शुल्क आरोपित किया गया है, जबकि व्यवहारी के मासिक करदाता नहीं होने के कारण नियम 19A(iii) के अनुसार प्रत्येक विवरण प्रपत्र के लिये अधिकतम विलम्ब शुल्क रूपये 5,000/– ही आरोपणीय है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा द्वितीय तिमाही के विवरण प्रपत्र के लिये अधिक आरोपित विलम्ब शुल्क रुपये 3,000/– को अवैध मानते हुये अपास्त कर दिया गया है। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित विलम्ब शुल्क रुपये 16,300/– में से रुपये 3,000/– को अपास्त कर शेष रुपये 13,300/– को यथावत रखने में कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की गई है।

11. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.03.2016 विधिसम्मत होने से पुष्ट किये जाने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15.03.2016 की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

22/01/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य